

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 26/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी, 2018

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 531 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“531	8711	मोटर साइकिल (मोपेड सहित) और साइकिलें जिनमें सहायक मोटर लगा है साइड कार के साथ या उसके बिना और साइड कारें, नए जो आयात से पूर्व कहीं भी रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई हैं, -- (1) पूरे यान की असेंबलिंग के लिए सभी आवश्यक संघटक, पुर्जे या उप असेंबली वाली पूर्णतया नाक-डाउन (सीकेडी) किट के रूप में निम्नलिखित के साथ, - क) इंजन, गियर बाक्स और पारेषण मैकेनिज्म जो पूर्व असेंबल्ड दशा में नहीं हैं; ख) इंजन या गियर बाक्स या पारेषण मैकेनिज्म जो पूर्व असेंबल्ड प्ररूप में है किंतु जो बाडी असेंबली में माउंटेड नहीं है; (2) पूर्वोक्त (1) से भिन्न रूप में	15% 25% 50%	- - -	- - -”;

[फाइल संख्या 354/33/2018-टीआरआय]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में, सा.का.नि. संख्याक 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 प्रकाशित किया गया था और उसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 24/2018 -सीमा शुल्क, दिनांक 06 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 146 (अ) दिनांक 06, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।